[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

राजस्व आसूचना निदेशालय

अधिसूचना सं. 03/2021-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

नई दिल्ली, 06.01.2021

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं.60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.) संख्या सा.वै.नि. 453(ई), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015- सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.वै.नि.916(ई), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i)में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं:-

तालिका

क्र. सं.	**नोटिसी का नाम एवं पता**	**कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक**	**न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम**	**नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1.	मै. देव टेक्सटाइल, शॉप सं. 125, गोहाना रोड, शिव धर्मकांटा के सामने, पानीपत-132103.	फ़ा. सं. DZU/23/Enq-67/2019/Dev Textile दिनांक 30.09.2020 (SCN No. 46/2020)	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. उप आयुक्त सीमाशुल्क, आईसीडी बल्लभगढ़, फ़रीदाबाद.	संयुक्त/अपर आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.
2.	श्री संजय अग्रवाल, (I) विल्ला सं. 41, ओरियन विल्लास, एनएसएल इनफ्रास्ट्रक्चर्स, रायदुर्गम, गाचीबौली, हैदराबाद-500032	डीआरआई फ़ा. सं. DRI/KZU/AS/Enq-28/2018 दिनांक 18/21.12.2020	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीरबाग, हैदराबाद.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

	(II) C/o घनश्यामदास जेमस & जेवेलस, 5-9-273, C-1, मयूरकुशल कॉम्प्लेक्स आबिदस, हैदराबाद-500001 और 11 अन्य.		आयुक्त सीमाशुल्क (एयरपोर्ट एवं प्रशा.), कस्टम हाउस, कोलकाता.	

[फा. स.DRI/HQ-CI/50D/CAA-54/2020]

(**दीपक कुमार**)
संयुक्त निदेशक

प्रतिलिपि सूचना एवं रिकॉर्ड के अदद्यतन हेतु प्रेषित:-

1. तालिका के स्तंभ (5) में वर्णित समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी को मामले के न्याय निर्णयन हेतु।
2. तालिका के स्तंभ (4) में वर्णित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी।
3. प्रधान अपर महानिदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय-दिल्ली और कोलकाता को इस अनुरोध के साथ कि वे उनसे संबन्धित कारण बताओ नोटिसों के नोटिसियों और को- नोटिसियों को समान न्याय निर्णयन अधिकारी की नियुक्ति के बारे में सूचित करें। यह भी अनुरोध है कि वे केस फ़ाइल, कारण बताओ नोटिस, भरोसा किए गए दस्तावेजों (ReliedUponDocuments) और कारण बताओ नोटिस की अभिस्वीकृति (acknowledgement) को नियुक्त समान न्याय निर्णयन अधिकारी को भेज दें